

प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक – 15.10.2021

350 ग्राम अवैध गांजा के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार—(थाना कन्धई)

जनपद के थाना कन्धई से उ0नि0 श्री रमेश सिंह मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान थानाक्षेत्र के रखहा मोड़ के पास से एक व्यक्ति शिवशंकर सिंह पुत्र राम सुन्दर सिंह नि0 करमाही थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ को 350 ग्राम अवैध गांजा व बिक्री के 300/— रू0 के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 369/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

शिवशंकर सिंह पुत्र राम सुन्दर सिंह नि0 करमाही थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी—

01. 350 ग्राम अवैध गांजा व बिक्री के 300/— रू0।

पुलिस टीम— उ0नि0 श्री रमेश सिंह मय हमराह थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।

450 ग्राम अवैध गांजा व गांजा बिक्री के 500/—रू0 के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार—(थाना कन्धई)

जनपद के थाना कन्धई से उ0नि0 श्री रमेश सिंह मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान थानाक्षेत्र के जगदीशगढ़ के पास से एक व्यक्ति कुंवर बहादुर सिंह पुत्र शेर बहादुर सिंह नि0 जगदीशगढ़ थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ को 450 ग्राम अवैध गांजा व बिक्री के 500/— रू0 के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 370/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

कुंवर बहादुर सिंह पुत्र शेर बहादुर सिंह नि0 जगदीशगढ़ थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी—

01. 450 ग्राम अवैध गांजा व बिक्री के 500/— रू0।

पुलिस टीम— उ0नि0 श्री रमेश सिंह मय हमराह थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।

हत्या के प्रयास के अभियोग में, 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार (थाना बाघराय)

जनपद प्रतापगढ़ के थाना बाघराय से उ0नि0 श्री दिनेश सिंह मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 80/2021 धारा 147, 148, 149, 323, 307, 504, 506 भादवि से संबंधित वांछित अभियुक्त 1. अशोक बहादुर सिंह पुत्र शिवबहादुर सिंह नि0 एमाजाटूपुर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्र के एनबीएस0 स्कूल के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 31.03.2021 को वादी के भाई को बाघराय से जाटूपुर जाने वाले रास्ते पर आरोपीगण द्वारा लाठी डण्डों से मारपीट कर घायल कर दिया गया था। इस संबंध में वादी की तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 80/2021 धारा 147, 148, 149, 323, 307, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमें से संबंधित 04 अभियुक्त गिरफ्तार पूर्व में गिरफ्तार किये जा चुके हैं शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

1. अशोक बहादुर सिंह पुत्र शिवबहादुर सिंह नि0 एमाजाटूपुर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम— उ0नि0 श्री दिनेश सिंह, उ0नि0 श्री हरिमोहन राजपूत, आरक्षी अनुपम चौहान व आरक्षी सुरेश सिंह थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

अपहरण के अभियोग में, 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार (थाना आसपुर देवसरा)—

दिनांक 08.10.2021 को थाना आसपुर देवसरा में वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि मेरी 16 वर्षीय पुत्री को बहला-फुसला कर एक व्यक्ति अपने साथियों की मदद से भगा ले गया है। इस संबंध में वादी की तहरीर पर मु0अ0सं0 240/2021 धारा 363, 120बी भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

उक्त मुकदमें की विवेचना/अग्रिम कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 15.10.2021 को थाना आसपुर देवसरा के प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र सिंह मय हमराह द्वारा उक्त मुकदमें से संबंधित 03 अभियुक्त 1. राधेश्याम जायसवाल पुत्र स्व0 रामउदित जायसवाल 02. दिलीप जायसवाल पुत्र राधेश्याम जायसवाल 03. रंजीत जायसवाल पुत्र राधेश्याम जायसवाल निवासीगण ग्राम पूरा ढकवा थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्र आसपुर देवसरा के ग्राम ढकवा से गिरफ्तार किया गया। मुकदमें से संबंधित अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:—

01. राधेश्याम जायसवाल पुत्र स्व0 रामउदित जायसवाल निवासी ग्राम पूरा ढकवा थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।
02. दिलीप जायसवाल पुत्र राधेश्याम जायसवाल निवासी ग्राम पूरा ढकवा थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।
03. रंजीत जायसवाल पुत्र राधेश्याम जायसवाल निवासी ग्राम पूरा ढकवा थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम— प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र सिंह मय हमराह थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

अवैध शराब के भण्डारण का भण्डाफोड

कल दिनांक 14.10.2021 को थानाक्षेत्र हथिगवां से बरामद लगभग 02 लाख 66 हजार रू० कीमत की, गैर प्रान्तीय अवैध अंग्रेजी/देशी शराब व बीयर की केन से संबंधित 01 अन्य वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री सतपाल अंतिल के कुशल निर्देशन में जनपद प्रतापगढ़ में निरन्तर अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, इसके अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी व क्षेत्राधिकारी कुण्डा के नेतृत्व में कल दिनांक 14.10.2021 को प्रभारी निरीक्षक हथिगवां मय हमराह व आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर पुरनेमऊ चौराहे के पास से बिरयानी की दुकान के पीछे जमीन में गाड़ी गयी लगभग 02 लाख 66 हजार रू० कीमत की अवैध देशी शराब, अंग्रेजी शराब व बीयर की केन बरामद की गयी थी तथा मौके से एक अभियुक्त रियाज अहमद पुत्र मो० अली नि० पठान का पुरवा पुरनेमऊ थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया था। इस संबंध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 208/21 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 486, 487, 272 भादवि, धारा 60/60क/63 आबकारी अधिनियम, धारा 63 कॉपीराइट एक्ट व धारा 103, 104 व्यापारी व पण्य वस्तु चिन्ह अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

उक्त मुकदमें की विवेचना के क्रम में आज दिनांक 15.10.2021 को थाना हथिगवां के उ०नि०श्री राजेश कुमार मह हमराह द्वारा उक्त मुकदमें से संबंधित वांछित अभियुक्त बच्चा यादव उर्फ धीरज यादव पुत्र हरीराम यादव नि० हियात नगर पूरनेमऊ थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्र हथिगवां के पूरनेमऊ चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। मुकदमें से संबंधित अन्य अभियुक्तों के चिन्हीकरण/गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

01. बच्चा यादव उर्फ धीरज यादव पुत्र हरीराम यादव नि० हियात नगर पूरनेमऊ थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम—

➤ प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रभान सिंह, उ०नि०श्री रामअधार सिंह यादव, उ०नि०श्री शेषनाथ सिंह, उ०नि०श्री अभिमान सिंह, आरक्षी जनार्दन यादव, आरक्षी मनोज कुमार, आरक्षी जितेन्द्र चौहान, आरक्षी अजीत यादव, आरक्षी अनिल कुमार व आरक्षी राजेश सिंह थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।